शोध सरोवर पत्रिका

आरती, वषुतक्काटु, तिरुवनन्तपुरम - 695 014, केरल राज्य।

RNI No. KERHIN/2017/7008 ISSN No. 2456-625 X

वर्ष 1 अंक 2 त्रैमासिक हिन्दी शोध पत्रिका 10 अप्रैल 2017

मुख्य संपादक

डॉ.पी.लता

प्रबंध संपादक

डॉ.एस.तंकमणि अम्मा

सह संपादक

प्रो.सती.के

डॉ.एस. लीलाकुमारी अम्मा

श्रीमती वनजा.पी

संपादक मंडल

डॉ.जी.गीताकुमारी

डॉ.पुष्पम्मा.डी

डॉ.षीना.यू.एस

डॉ.सुमा.आई

डॉ.एलिसबत्त जोर्ज

डॉ.दिव्या.वी.एच

डॉ.कमलानाथ.एन.एम

डॉ.अश्वती.जी.आर

राखी.एस.आर

रंजिता राणी

पार्वती चन्द्रन

सिन्धु.वी.जे

सूचना : पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार संबंधित लेखकों के हैं। उनसे संपादक तथा प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

संपादकीय - डॉ.पी.लता 3

झारखण्ड की क्षेत्रीय भाषा 'खोरठा' : एक परिचयात्मक प्रस्तुति - **डॉ.रंजीत रविशैलम** 4

जयश्री रॉय के उपन्यास 'दर्दजा' में चित्रित स्त्री का सुन्ना - एक परिचय - **डॉ. बिन्दु वेलसार** 6

महीपसिंह की कहानियों में समकालीन महानगरीय जीवन की विविध समस्याएँ - **सुगीन.जी.एस** 10

डॉ.एन.रामन नायर का 'सागर की गलियाँ' : केरल का एकमात्र हिन्दी आंचलिक उपन्यास - **डॉ.एस.लीलाकुमारी अम्मा** 18

'पट्टी बाँधने को घाव बनानेवाले : एक झाँकी - **डॉ.बिन्दु. सी.आर** 21

कुरुक्षेत्र जागता है : एक अवलोकन - **डॉ.षेर्लिन** 24

समकालीन हिन्दी कविता में नारी शोषण और मानवाधिकार - **डॉ.रीनाकुमारी.वी.एल** 26

मन्नू भंडारी की 'अकेली' कहानी में चित्रित आधुनिकता- **डॉ.लक्ष्मी.एस.एस** 32

अपना ज्ञान परखें - **डॉ.पी.लता** 35

श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास 'राग दरबारी' में जनवादी चेतना - **डॉ.धन्या.एल** 36

शहरीकृत ग्रामीण सभ्यता की व्यथा कथा - 'अलाहा की नारी संतानें' - **डॉ.के. श्रीलता** 41

आलोचक डॉ.ए.अरविन्दाक्षन - **श्रीमती पी.वनजा** 47

वार्षिक रिपोर्ट - अखिल भारतीय हिन्दी अकादमी - **डॉ.पी.लता** 49

लेखकों से निवेदन

भाषा, साहित्य, समाज एवं संस्कृति पर लिखी गयी स्तरीय मैलिक तथा अप्रकाशित रचनाएँ भेजें। प्राकशनार्थ अनूदित रचनाओं के साथ मूल लेखकों से प्राप्त सहमति पत्र भी भेजें। रचनाएँ डी.वी.सुरेख ई.एन. फोण्ट में वर्ड या पेजमेकर फइल में भेजें। रचना के अंत में अपना पूरा डाक पता, मोबाईल नंबर और ई-मेल पता भी अंकित करें। संक्षिप्त जीवन-परिचय और फोटो भी भेजें।

संपादक

डॉ.पी.लता

'शोध सरोवर पत्रिका'

मूल्य :	एक प्रति रु. 30/-
	वार्षिक शुल्क रु.120/-

पत्रिका के संबंध में अधिक जानकारी केलिए संपर्क करें - डॉ.पी.लता (मंत्री, अखिल भारतीय हिन्दी अकादमी), आरती, टी.सी. 14/1592, फोरस्ट ऑफीस लेन, ई-28, वषुतक्काटु, तिरुवनन्तपुरम - 695 014, केरल राज्य। फोन : 0471 - 2332468, 9946253648

ई-मेल : dr.pletha@yahoo.com

संपादकीय

स्त्री सुरक्षित नहीं

स्त्री - पुरुष समता पर ज़ोर देनेवाले भारत देश में स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की स्त्री जाति पुरुषों के अतिक्रमों की शिकार होती जा रही है। स्त्री - सुरक्षा हेतु कई नियम बनाये गये हैं, किन्तु ये नियम कितने सफल होते हैं, यह चिन्तनीय है। बालिकाओं के यौन शोषण को रोकनेवाला नियम है 'पोकसो' (POCSO / Protection of children from sexual offences)। यह पाँच साल पहले कार्यान्वित हुआ था, किन्तु ऐसे मामलों की संख्या समाज में बढ़ती जाती है, जैसे - सन् 2013 में संख्या 1000 थी, तो 2014 में 1340, 2015 में 1569 तथा 2016 में 2093। सन् 2017 में दैनिकों तथा रेडियो, दूरदर्शन जैसे संचार माध्यमों में ऐसे मामलों की खबर दिये बिना एक दिन भी नहीं रहता। आजकल घर, सड़क, शैक्षिक संस्था, कार्यालय जैसी किसी भी जगह में स्त्री सुरक्षित नहीं है। घरवालों की अनुपस्थिति के अवसरों पर पड़ोसियों द्वारा, घर में माता की अनुपस्थिति के समय पिता, सौतेला पिता या दादा द्वारा, बस में ड्राइवर द्वारा वीरान सड़कों से चलते वक्त स्थानीय पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर लैंगिक अन्याय होता है।

आजकल सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ स्त्रियाँ काम करती हैं। शिक्षित, सक्षम और कामकाजी नारी अपने प्रति पुरुषों का अनैतिक व्यवहार होने के भय से घर की चहार दीवारी में बंद नहीं बैठ सकती। शस्त्रविद्या का अभ्यास प्राप्त स्त्री में भी बलवान पुरुष के अप्रत्याशित आक्रमण का मुकाबला करने का मनोबल नहीं रहेगा।

स्त्रियों की सुरक्षा केलिए कई सरकारी योजनाएँ कार्यान्वित हैं। केन्द्र वनिता - शिशु कल्याण मंत्रालय की योजना 'मित्र 181' स्त्रियों को दिन - रात सहायता देने की है। इस योजना के अनुसार टोल फ्री नंबर 181 में बुलाने पर थाना, अस्पताल तथा रोगी वाहन की सेवा जल्द ही उपलब्ध होगी। केरल में स्त्री को किसी भी विषय पर मत प्रकट करने की सुविधावाला मलयालम माध्यम का वेबसाइट है www.womanpoint.in। तिरुवनन्तपुरम में स्थित सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र टेकनोपार्क के मुख्य फाटक में सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक कार्यरत 'वनिता हेल्प डेस्क', स्त्रियों में अवरोधन शक्ति बढ़ाने को शस्त्र कलाओं का अभ्यास देनेवाली 'स्नेह ज्वाला' आदि भी ऐसी योजनाएँ हैं।

प्रत्येक बच्चे का घरेलू वातावरण शांतिमय तथा स्नेहिल रहना चाहिए। बचपन में ही दूसरों से स्नेह, सहयोग तथा सम्मान भावों के साथ व्यवहार करने की आदत लड़कों में जगाने का दायित्व माता - पिता का है। स्त्रियों से मर्यादापूर्वक व्यवहार करने में पौरुष निर्भर है। छोटी आयु में ही घरवालों का सदुपदेश सुनकर सुसंस्कृत बननेवाले लड़के भविष्य में उत्तम नागरिक बनेंगे, अनैतिक व्यवहार करने से हिचकेंगे तथा कहीं भी बिना सिर झुकाये मात्र भले कार्यों केलिए अपनी शक्ति लगायेंगे। स्त्रियों पर होनेवाले अतिक्रमों से उन्हें बचाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पिछले विश्व वनिता दिवस का नारा था - 'Be bold for change!'।

डॉ.पी.लता

झारखण्ड की क्षेत्रीय भाषा 'खोरठा':एक परिचयात्मक प्रस्तुति

• डॉ. रंजीत रविशैलम

झारखण्ड प्रान्त का सर्वप्रथम उल्लेख 'ऐतरेय ब्राह्मण' में हुआ है। प्रस्तुत ग्रंथ में झारखण्ड का नाम 'पुंड्र' हैं। महाभारत में झारखण्ड का नाम 'पुंडरिक देश' है। फाह्यान ने झारखण्ड को 'कुकुड़-लाड़' कहा था। मुगलों ने झारखंड को 'खुखरा' कहा था। अबुल फज़ल के द्वारा प्रणीत 'अकबरनामा' में 'छोटा नागपुर' क्षेत्र को झारखंड़ कहा गया है। खड़िया, बिरहोर तथा असुर छोटा नगपुर की सबसे प्राचीन जनजातियाँ हैं। इनके अलावा कोरवा, मुंडा, उरांव, हो, चेरो, खरवार, भूमिज, संथाल आदि जनजातियाँ वहाँ बसने लगीं। मुंडाओं ने ही नागवंश की स्थापना की थी। अनेक जनजातीय विद्रोह झारखंड़ प्रान्त में हुए, यथाः धाल विद्रोह (1767 - 1777 ई), पहाड़िया विद्रोह (1772 - 1782 ई), तमाड़ विद्रोह (1782 ई), तिलका आन्दोलन (1983 - 1785 ई), चुआड़ विद्रोह (1798 ई), चेरो आंदोलन (1800 - 1818 ई), हो विद्रोह (1820 - 1821 ई), कोल विद्रोह (1831 - 1832 ई), भूमिज विद्रोह (1832 - 1833 ई), संथाल विद्रोह (1855 - 1856 ई), सरदारी आन्दोलन (1858 - 1895) , खरवार आंदोलन (1874 ई), मुंडा विद्रोह (1895 - 1899 ई), टाना भगत आंदोलन (1914 ई) आदि। इनमें संथालों की भाषा 'संथाली' को भारतीय संविधान की अष्टमअनुसूची में सम्मिलित करने से भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है।

झारखण्ड में 'जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अन्तर्गत कुल नौ भाषाओं को मान्यता दी गई है।

1. जनजातीय भाषाएँ : संथाली, मुण्डारी, हो, खडिया तथा कुडूख।
2. क्षेत्रीय भाषाएँ : खोरठा, नागपुरी, कुरमाली तथा पंचपरगनिया।

इन भाषाओं में भाषा के पहलुओं की दृष्टि से दो भाषाएँ प्रमुख हैं - संथाली एवं खोरठा। 'संथाली' के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है, अतः 'खोरठा' की परिचयात्मक प्रस्तुति यहाँ दी गई है-

'खोरठा' आर्य भाषा परिवार की एक क्षेत्रीय भाषा है। विश्व के लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः अठारह भाषा परिवारों में रखा गया है। भारतीय भाषाएँ प्रायः भारोपीय भाषा परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएँ हैं। भारोपीय परिवार में हिन्दी सहित खोरठा एवं अन्य भाषाओं को रखा गया है। झारखण्ड अधिविध परिषद् द्वारा ज़ारी की गयी भाषाओं की सूची में क्रमांक 17 में 'खोरठा' भाषा को शामिल किया गया है।

'खोरठा' भाषा छोटा नागपुर प्रमण्डल के धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, हज़ारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, देवघर तथा जामताड़ा जिलों में प्रमुखता से बोली जाती है।

आज तक खोरठा भाषा की अपनी लिपि का विकास नहीं हुआ है। अतः यह देवनागरी, उर्दू तथा बंगला में लिखी व पढ़ी जाती है। 'खोरठा' भाषा में

समृद्ध साहित्य सृजन हुआ है। प्रायः सभी रचनाएँ देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। अधिकतर विद्वानों ने 'खोरठा' भाषा को लिखने - पढ़ने में देवनागरी लिपि को 'मानक' माना है। 'खोरठा भाषा' अपने विकास के प्रथम सोपान में है। इस भाषा के व्याकरणिक तथ्यों का क्रमिक विकास हिन्दी के व्याकरण के सहयोग से हो रहा है। खोरठा भाषा के शब्दों को आसानी से समझा जा सकता है। उदाहरणार्थ -

योग्य (हिन्दी) - जोइग (खोरठा); वर (हिन्दी) बोर (खोरठा); वन (हिन्दी) - बोन (खोरठा); व्यापार (हिन्दी) - बेपार (खोरठा) इत्यादि। अतः 'खोरठा' भाषा को हिन्दी का जानकार व्यक्ति सरल रूप से पढ़ एवं लिख सकते हैं। वाक्य का उदाहरण देखिए :

निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पानी का उचित प्रबंध नहीं है। (हिन्दी)

निबेदन हमनिक इसकूले पानिक बेस ले बेवस्था नखे (खोरठा)।

खोरठा भाषा की प्रमुख पुस्तकें :-

खोरठा भाषा का साहित्य समृद्ध रूप से उपलब्ध है। अनेक प्रसिद्ध रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। उनमें प्रमुख रचनाओं व रचनाकारों का विवरण निम्नवत् हैं;

(अ) जिनगीक टोह (रचना)- चितरंजन महतो (लेखक)
(आ) उद्वासल कर्न - श्रीनिवास पानुरी
(इ) खोरठा निबंध संग्रह - डॉ. ए.के.झा, डॉ. विनोदकुमार एवं बी.एन.ओहदार
(ई) खोरठा भाषा गर्हन - कृष्णा चन्द्र दास 'आला'
(उ) खोरठा दर्पण - वंशी लाल 'वंशी'
(ऊ) खोरठा भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन - डॉ.ए.के झा, बी.एन. ओहदार
(ऋ) पुटुस फूल - डॉ. गजाधर महतो 'प्रभाकर'
(ए) फरीक्ष डहर - पंचम महतो
(ऐ) भगजोगनी - विश्वनाथ दसौंधी 'राज'
(ओ) पुटुस आर परास - विश्वनाथ दसौंधी राज
(औ) सालूक फूल - कैलास महतो 'व्यथित'
(अं) सेवातिक फूल - जनदिन गोस्वामी 'व्यथित'
(अः) एक पथिया डोंगल महुआ - संतोषकुमार महता
(क) समाजेक सरजुइत निसाइन - डॉ.ए.के.झा
(ख) रामकथामृत - श्रीनिवास पानुरी
(ग) दामुदरेक कोराअ - शिवनाथ प्रमाणिक
(घ) डीडांक डोआनी - वंशी लाल वंशी आदि।

झारखंड़ की राजभाषा के रूप में 'खोरठा' भाषा का प्रचलन आजकल हो रहा है। निकट भविष्य में इस अल्पज्ञात भाषा का उज्ज्वल रूप प्रकट हो जाएगा। तिलका मंझी, तेलंगा खडिया, भगीरथ मांझी, बुधु भगत, बिरसा मुंडा आदि अनेक क्रांतिकारियों की भाषा 'खोरठा' थी। आगामी वर्षों में प्रमुख भाषा के रूप में इसका परिपूर्ण विकास होगा।

सहायक ग्रंथ

1. खोरठा भाषा, व्याकरण तथा साहित्य - मीरा कुमारी
2. खोरठा भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन - डॉ. एक.झा एवं बी.एन.ओहदार
3. खोरठा दर्पण - वंशी लाल 'वंशी'

◆ डॉ. रंजीत रविशैलम
रविशैलम, कट्टच्चलक्कुषी. पी.ओ
बालरामपुरम, तिरुवनन्तपुरम जिला,
केरल - 695501
मोबाइल: 08281494226

जयश्री रॉय के उपन्यास 'दर्दजा' में चित्रित स्त्री का सुन्ना-एक परिचय

• डॉ.बिन्दु वेलसार

समकालीन हिन्दी कथा साहित्य में जिन लेखिकाओं ने सशक्त उपस्थिति दर्ज की है, उनमें जयश्री रॉय का प्रमुख स्थान है। जयश्री जी ने अपने लेखन की शुरुआत सन् 2010 में 'तुम्हारे लिए' काव्य संग्रह से की थी। तबसे ये लगातार लिखती आ रही हैं। इस अल्पावधि में न केवल इन्होंने हिन्दी साहित्य जगत में अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज कराई है, बल्कि वे अपनी रचनाओं की अलग विषयवस्तु और भाषाई सौंदर्य के कारण लगातार चर्चित भी रही हैं। अब तक आपके चार उपन्यास - 'औरत जो नदी है', 'साथ चलते हुए', 'इकबाल' और 'दर्दजा' और चार कहानी संग्रह - 'अनकही', 'तुम्हें छू लूँ ज़रा', 'खारा पानी' और 'कथांतर' प्रकाशित हो गए हैं। सन् 2016 में प्रकाशित आपके चर्चित और स्पंदन सम्मान से पुरस्कृत उपन्यास 'दर्दजा' में फीमेल जनेटल म्यूटिलेशन यानि 'स्त्री का सुन्ना' रूपी दर्दनाक कुप्रथा का विरोध किया गया है। यह कुप्रथा अफ्रीका के 18 देशों के साथ-साथ मध्य-पूर्व के कुछ देशों और मध्य व दक्षिण अमेरिका के कुछ जातीय समुदायों के बीच प्रचलित है। इस घनघोर अन्याय के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ, वेल्ड हेल्थ ओर्गनाइज़ेशन आदि संस्थाएँ कटिबद्ध हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यह मजहब से जुड़ी बात है और किसी को भी हम अपनी परंपरा के खिलाफ़ जाने नहीं देंगे।

पुरुषों की सुन्नत अपनी सामान्य स्वीकार्यता के कारण लगभग एक आम बात हो चुकी है, इसके बारे में लोग जानते भी हैं। लेकिन स्त्रियों का खतना (सुन्ना) अपनी तमाम भयानकताओं के बावजूद बड़े हिस्से केलिए अनजाना क्षेत्र है। लड़कों की सुन्नत में दर्द सिर्फ शुरुआत में होता है, बल्कि लड़कियों के लिए यह मौत की तरह है। अफ्रीका के कई देशों में सुन्नत की यह प्रथा प्रचलित है, हर जगह यह अलग-अलग नाम से जाना जाता है - ईजिप्ट में ताहारा, सुदान में ताहुर, माली में बोलोकोली, कोकिआ में बुनड़ा आदि। एक विशेष तरह के 'खतना' को भी कई देशों में 'सुन्नत' कहते हैं। महिलाओं के खतने में महिला जननांग का बाहर रहनेवाला सारा हिस्सा काट दिया जाता है और कटे हुए जिस्म को कांटे और मोटे धागे से सी देती है। मात्र मूत्र त्याग और रजोस्राव केलिए एक माचिस की तीली की नोक बराबर छेद छोड़ दिया जाता है। इसलिए उसे जीवन भर संभोग करते समय और बच्चा पैदा करते समय भयानक पीड़ा से गुज़रना पड़ता

है, जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठेगी।

लड़कियों के सुन्ना करने के पीछे की मानसिकता यह है कि इससे महिलाओं में विवाह पूर्व संबंध बनाने की इच्छा खतम होगी। ऐसे ऑपरेशन के बाद बहुत सी लड़कियाँ इनफेक्शन आदि होने से मर जाती हैं। कभी प्रसव के दौरान मूत्राशय में चोट पहुँचने की वजह से पेशाब रिसता रहता है। ऐसा ज़्यादातर कम उम्र की लड़कियों में होता है। दुर्गंध के कारण पति उसे छोड़ देता है। धीरे धीरे सामाजिक जीवन से भी एक तरह से परित्यक्त होकर सबसे अलग झोंपड़ी बनाकर निर्वासन की ज़िंदगी जीना पड़ती है। इसी तरह की एक स्त्री पात्र है 'दर्दजा' की माहिरा। उसका पहला बच्चा तेरह साल की उम्र में हुआ था। उसका शरीर माँ बनने केलिए परिपक्व नहीं हो गया था। वह एक दिन अपने एकान्तवास से बाहर निकल आती है। बदबू के कारण औरतें उसे भगाने की कोशिश करती हैं तो वह झल्लाकर कहती है - "मैं क्यों जाऊँ वनवास में, तुम सब जाओ.... करे कोई और भरे कोई! बदबू आती है मुझसे? घिन आती है? आने दो! मेरे तो शरीर से बदबू आती है, तुम सबकी सोच से बदबू आती है, रूह से बदबू आती है...."[1]

स्त्रियों के लिए इतना अधिक खतरनाक और दर्दनाक होने के बावजूद भी कोई स्त्री इसका विरोध इसलिए नहीं करती कि यह परंपरा से, मज़हब से जुड़ी है। मज़हब के मुताबिक "हौव्वा की जाइयों को अपने गुनाहों की सज़ा इसी दुनिया में भुगत कर जाना है। उनके लिए कुछ अलग से दोज़ख नहीं है। जो है यही ज़िन्दगी है...!"[2] हव्वा की बेटियों को इस दुनिया में इतना दुख क्यों सहना पड़ता है? इसके उत्तर के रूप में मौलवी कहता है - "मादर जात पर अताब - ए - इलाही टूटा है। उन्हें अठारह सज़ायें मिली हैं, अपने गुनाहों की - हामिला होना, तलाक मिलना, तलाक न दे सकना, मर्दों को चार शादी का हक, औरतों को नहीं, गवाही में दो औरतों को एक मर्द के बराबर माना जाना वगैरह-वगैरह!"[3] मज़हब के नाम पर स्त्रियों को अपने अधीनस्थ रखने का पुरषवादी समाज का विचार स्त्रियों पर सबसे बड़ा अत्याचार माना जा सकता है।

'दर्दजा' सोमालिया के जंगलों और रेगिस्तान के बीच रहनेवाले एक गरीब मुस्लिम परिवार की कथा है। माहिरा इस उपन्यास की केन्द्र पात्र है। यह आत्मकथानक शैली में लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में एफ जी एम से पीड़ित स्त्रियों का दर्द अत्यंत सघनता से माहिरा के शब्दों में चित्रित किया गया है। सबसे पहले माहिरा को सुन्ना का एहसास अपनी बड़ी बहन के सुन्ना के समय हुआ था। सुन्ना करते समय बच्चों को वहाँ प्रवेश नहीं है। सून्ना के बाद एक झोंपड़ी में महीना भर घाव सुखाने के लिए रख दिया जाता है, तब भी बच्चों को वहाँ प्रवेश नहीं होता। इसलिए माहिरा को इसका पूर्ण चित्र तब तक नहीं मिला था जब तक खुद उसका सुन्ना नहीं हुआ था। इसलिए उसे सुन्ना शारीरिक पीड़ा के साथ - साथ

मानसिक पीड़ा का भी विषय बनता है। वह सोचती है - "क्यों मुझे इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं किया गया, जो घटना औरत की ज़िन्दगी को सिरे से बदल देती है, जो उसके आगे के पूरे जीवन का नक्शा तय करती है, उसके बारे में जानने का हक भी हमें क्यों नहीं मिलता!"[4]

धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांड के नाम पर रहेनेवाली यह क्रूरतम अमानवीय कुप्रथा दरअसल पवित्रता और खासियत के आवरण में यौन शुचिता और शारीरिक पवित्रता की पितृसत्तात्मक साजिशों का नतीजा है, जो स्त्री देह और उसकी यौनिकता को अपनी संपत्ति मानती है। माहिरा कहती है - "कई बार मुझे प्रतीत होता था रिवाज़ों में नियम - कानून तथा आचार व्यवहार में औरतों के प्रति अवमानना छिपी रहती है, एक तरह की साज़िश - उसे दबाने की, कुचलने की, प्रताड़ित करने की। वह हमेशा अधीन रहे, असहाय रहे, निर्भर रहे...।"[5] माहिरा इस पितृसत्ताक साजिशों का उल्लंघन करती हुई सुन्ना से बचने केलिए भाग जाती है। लेकिन उसका उल्लंघन करना उतना आसान नहीं। उस भीषण घटना का चित्रण इतना दिल दहलानेवाली है कि आँख से आँसू आये बिना उसे पढ़ा नहीं जा सकता। दीदी के सुन्ना के दो-तीन महीनों के बाद उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से बकरी के एवज़ में उसके पिता ने तय कर दिया। ऐसी शादी से बचने केलिए वह घर से भाग गयी और किसी जंगली जानवर की शिकार बन गयी। "दीदी घर से मुक्ति की कामना में भागकर काल के गाल में समा जानेवाली उन्हीं बदनज़ीब लड़कियों में से एक थी।"[6]

माहिरा ने सुन्ना के समय विरोध प्रकट किया था। इसलिए उसकी छोटी बहन मासा का सुन्ना चार पाँच साल के अंदर ही करवा देता है। वह मासूम बच्ची मानसिक और शारीरिक रूप से इसे सहन नहीं कर पाती। माँ एक और बच्चे को जन्म देने के कारण उसकी देखभाल भी ठीक से नहीं कर पायी गई। इसी बीच माहिरा की शादी भी जहीर नामक एक बूढ़े रईस से ऊँट, बकरी और संपत्ति के एवज़ में तय हो जाती है जिसे माहिरा को पसंद नहीं थी। फिर भी वह बारह साल की लड़की क्या विरोध कर सकती है। खतना की तरह ही इन देशों में विवाह भी स्त्रियों के लिए एक अभिशाप जैसा ही है। सुहाग रात में ही उसका पति उस पर टूट पड़ता है। क्योंकि जाहिर माहिरा को जितनी जल्दी हो सके गर्भवती बनाना चाहती है, यदि देरी हो गयी तो समाज द्वारा उसकी मर्दानगी पर उंगली उठायी जाएगी। लेकिन सुन्ना के समय सील कर दिये जाने से संभोग नहीं हो पाता। वह चाकू ले आके छेद को बड़ा करने का प्रयास करता है। किन्तु परास्त और नीराश हो जाता है। निराशा से उत्पन्न क्रोध के कारण वह उसे प्रहार करके चला जाता है। अगले दिन माहिरा की माँ और दो औरतें आकर सिले हुए भाग को काट देती हैं। दूसरी रात जाहिर आकर कुछ कहे बिना दर्द से कराह रही माहिरा का बलात्कार करता है। माहिरा दर्द से

चिल्ला रही थी और जाहिर जीत की खुशी से मुस्कुरा रहा था। "जाने क्यों इस दुनिया के बाशिंदों ने जीवन को मृत्यु का पर्याय बनाकर रख दिया है। मौत से पहाले भी मौत! एक बार नहीं, कई बार .... बार - बार!"[7]

माहिरा की छोटी बहन मासा मर जाती है। सुन्ना के समय उपयोग किये औज़ार के कारण उसे एड्स हो गया था। माहिरा निश्चय कर देती है कि वह अपनी बेटी को इस त्रासदी से गुज़रने नहीं देगी। जब मासा के सुन्ना की नौबत आती है तब वह मासा को लेकर अंग्रेज़ी दंपतियों द्वारा चलाई जानेवाली ट्रस्ट पर पहुँच जाती है। वे सुन्ना के विरुद्ध कार्यरत हैं। अंग्रेज़ साहब मज़हब के संरक्षक के हाथों मारा जाता है। लेकिन मेम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती। किन्तु एक बार फिर माहिरा अपने परिवार के चंगुल में फँस जाती है और एक बार फिर उसे अपनी बेटी को बचाने केलिए वहाँ से भाग जाना पड़ता है। इस प्रकार वह अपनी बेटी को बचाने केलिए पितृसत्ता द्वारा थोपी गयी सभी सीमाओं का उल्लंघन करती है।

इस उपन्यास में लड़कियों के भाग जाने के कई प्रसंग आते है - माहिरा की बहन बूढ़े के साथ तय किये गये अपनी शादी से बचने केलिए, माहिरा पहली बार सुन्ना से बचने केलिए और उसके बाद दो बार अपनी बेटी को बचाने केलिए। "भागना यहाँ पलायन नहीं है। बल्कि पितृसत्ता की सुनियोजित साजिशों के विरुद्ध स्त्रियों का एक स्वाभाविक विद्रोह है।"[8] इस उपन्यास की खासियत यह है कि यह अपनी बुनावट में इतनी सघन, कथ्य में इतनी नयी और निर्वाह में इतनी तरल है कि पाठकों को अपनी गिरफ़्त में ले लेता है। इसमें स्त्री की पीड़ा का स्वर प्रमुख है। यह पीड़ा लेखिका जयश्री रॉय की आप बीती नहीं है। एक संवेदनशील लेखक को किसी घटना का वर्णन करने केलिए उससे जूझने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री की पीड़ा का चित्रण करनेवाला यह उपन्यास पढ़ते समय साइमन डी बीवर (Simon de Bevoir) का यह मत स्मरण में आता है - 'One is not born, but rather becomes a woman.'

संदर्भ

1. दर्दजा - जयश्री रॉय, पृ.सं. 74
2. वही, पृ.सं. 19
3. वही, पृ.सं. 53
4. वही, पृ.सं. 24
5. वही, पृ.सं. 77
6. वही, पृ.सं. 27
7. वही, पृ.सं. 60
8. परख : दरदजा (जयश्री रॉय : राकेश बिहारी, समालोचना, वेब पत्रिका)।

आधार ग्रंथ

दर्दजा - जयश्री रॉय; वाणी प्रकाशन; वर्ष 2016

◆ डॉ.बिन्दु वेलसार
हिन्दी विभाग, असिस्टेन्ट प्रोफसर
सरकारी वनिता कॉलेज, तिरुवनन्तपुरम।
फोन : 9495746923